निकोबार जनजातीय परिषद चुनाव विवाद: मसौदा नियम 2026 और पारंपरिक स्वशासन

शासन/जनजाति | समाचार संदर्भ: 12-17 जून 2026 (मसौदा अधिसूचना 15 मई 2026; आपत्ति-खिड़की 30 दिन) | प्रकाशित: 22 अक्टूबर 2026

अंडमान-निकोबार प्रशासन का निकोबारी जनजातीय स्वशासन में औपचारिक चुनाव-व्यवस्था लाने का प्रस्ताव जनजातीय परिषदों के विरोध में है [प्रेस]। जनजाति कल्याण निदेशालय ने 15 मई 2026 को 'अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह जनजातीय परिषद (निर्वाचक-सूची तैयार करना और चुनाव संचालन) मसौदा नियम, 2026' अधिसूचित किए — अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह (जनजातीय परिषद) विनियमन, 2009 की धारा 110 के अधीन; दावे-आपत्तियों के लिए 30 दिन की खिड़की दी गई [प्राथमिक — मसौदा अधिसूचना]। ग्रेट व लिटिल निकोबार, कैचल और नानकौरी की तीन परिषदों ने मसौदा पूरी तरह रद्द करने या पुनर्विचार की माँग की [प्रेस]।

मसौदा नियम क्या प्रस्तावित करते हैं?

मसौदा ग्राम परिषदों और द्वीप जनजातीय परिषदों के लिए आम चुनावों (परिषद की अवधि समाप्त होने या भंग होने पर) की प्रक्रिया बताता है: निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन, निर्वाचक-सूची, उम्मीदवारी/नामांकन/वापसी, महिला आरक्षण और प्रशासनिक ढाँचा [प्राथमिक — मसौदा नियम]; हिंदू एक्सप्लेनर इन्हें "5-वार्षिक" चुनाव बताता है [प्रेस]। प्रस्तावित ढाँचे में निकोबारी ग्रामीण हर गाँव से 5 से 9 कैप्टन चुनेंगे और हर द्वीप जनजातीय परिषद के चीफ कैप्टन का प्रत्यक्ष चुनाव होगा [प्रेस]। चुनाव-सूचियों की तैयारी व संचालन के लिए 'जनजातीय परिषद चुनाव निदेशक' (Director of Tribal Council Elections) पद का प्रावधान है [प्राथमिक — मसौदा नियम]। महिलाओं के लिए फर्स्ट कैप्टन व चीफ कैप्टन पदों का आरक्षण चक्रण (rotation) से सुनिश्चित करने का प्रावधान है [प्राथमिक — मसौदा नियम]।

वर्तमान व्यवस्था

लगभग 30,000 आबादी वाला निकोबारी समुदाय (अनुसूचित जनजाति) पिछले पाँच-छह दशकों से जनजातीय परिषदों द्वारा प्रतिनिधित है — कार निकोबार, नानकौरी, कमोर्ता, टेरेसा, कैचल, ग्रेट व लिटिल निकोबार समेत सात परिषदें [प्रेस]। गाँव-स्तर पर तीन कैप्टन (फर्स्ट, सेकंड, थर्ड) की परंपरा है; 1970 के दशक के मध्य से विद्वानों ने वयस्क मताधिकार से कैप्टन-चुनाव दर्ज किया है [प्रेस]। 'कैप्टन' अवधारणा 16वीं सदी में औपनिवेशिक जहाज़ों से बातचीत करने वालों से निकली; ब्रिटिशों ने 19वीं सदी के अंत में इसे प्रतिनिधि-संरचना के रूप में वैध बनाया [प्रेस]। सामाजिक ढाँचे की जड़ें नातेदारी-आधारित समूह — तुहेत (tuhets), होकग्नोंक (hokgnonks), कोमानाइच (komanaich) — हैं [प्रेस]। विनियमन 2009 के बाद से नियमों के कई मसौदे आए (नवीनतम पूर्व प्रयास 2020), परंतु अंतिम रूप नहीं दिया गया [प्रेस]।

परिषदों की आपत्तियाँ

PCSMANTRA.COM

तीनों परिषदों के अनुसार नियम “अस्वीकार्य” हैं — पारंपरिक शासन-व्यवस्था, रीति-रिवाज़, सद्भाव व एकता को कमज़ोर कर सकते हैं और बाहरी प्रभाव का दरवाज़ा खोल सकते हैं [प्रेस]। उम्मीदवार-सूची हिंदी में प्रकाशित करने की अपेक्षा को छह बोली-समूहों के प्रति अनादर बताया गया: “मतदाता-संवाद निकोबारी भाषाओं में हो, हिंदी या किसी मुख्यभूमि भाषा में नहीं” [प्रेस]। कुछ को संदेह कि ब्यूरोक्रेटिक परिषदें केंद्र की रुचि के अनुकूल हो सकती हैं — विशेषकर ग्रेट निकोबार में, जहाँ वर्तमान नेतृत्व केंद्र का ₹91,000 करोड़ कंटेनर-पोर्ट/एयरपोर्ट/टूरिस्ट-टाउनशिप परियोजना का विरोध कर रहा है [प्रेस]।

परीक्षा की दृष्टि से

- **GS-2 (शासन/जनजाति):** अनुसूचित जनजातियों का स्वशासन; परंपरागत बनाम औपचारिक प्रतिनिधि-तंत्र; A&N (जनजातीय परिषद) विनियमन 2009, धारा 110 [प्राथमिक/प्रेस]।
- **GS-1 (समाज/भूगोल):** निकोबारी समाज — तुहेत/कैप्टन संरचना; द्वीपसमूह-भूगोल; PVTG-संवेदनशीलता संदर्भ [प्रेस]।
- **करेंट अफेयर्स:** मसौदा नियम 15 मई 2026; 30-दिन आपत्ति-खिड़की [प्राथमिक]; ग्रेट निकोबार ₹91,000 करोड़ परियोजना-संदर्भ [प्रेस]।

यह भी पढ़ें: ग्रेट निकोबार परियोजना: कलकत्ता उच्च न्यायालय और आदिवासी सहमति

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

“जनजातीय क्षेत्रों में स्वशासी संस्थाओं (tribal councils) के नियम-निर्माण में जनजातीय सहमति और भागीदारी क्यों आवश्यक है? प्रशासन और संरक्षण के संतुलन की चर्चा कीजिए।” (सामान्य अध्ययन-II; 250 शब्द)

स्रोत

- [प्रेस] The Hindu (Explained), “Why is Nicobar debating elections?”, 12 जून 2026 — thehindu.com
- [प्रेस] Indian Express, “Nicobar tribal councils seek scrapping of draft poll rules, slam Hindi candidate lists”, 17 जून 2026 — indianexpress.com
- [प्राथमिक] A&N प्रशासन — मसौदा अधिसूचना (15 मई 2026), जनजाति कल्याण निदेशालय — andamannicobar.gov.in

PCSMANTRA.COM